अनवान उत्तमसिंह V/S खंगारसिंह

मुकदमा नंबर 81 / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.11.2024	पत्रावली पेश हुई।	

प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 13 से 15 के वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण 13 से 15 के वकील को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से जवाब का अवसर बंद किया जाता है। विप्रार्थी संख्या 1 से 12 व 16 से 18 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है।

अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भागवा तहसील सिवाना की 430 व खसरा संख्या 355 रकबा 2.4524 व 4.7672 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को 2000/– रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर [illegible] संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने [illegible] किया जाता है। तहसीलदार [illegible] प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.03 18:48:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाचक/2024/1158 दिनांक : 19.11.2024

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

उत्तमसिंह पुत्र भंवरसिंह **खंगारसिंह पुत्र परबतसिंह वगैराह**

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी</u>

राजस्व आवेदन सं 81/2022 दिनांक :– 08.11.2024

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम भागवा तहसील सिवाना के खेत खसरा संख्या 430 व खसरा संख्या 355 रकबा 2.4524 व 4.7672 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रूपये 2000/–प्रार्थी मौके पर अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हे सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाचक /2024/1159 दिनांक : 19.11.2024

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी भागवा को तहसीलदार सिवाना द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी उत्तमसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भागवा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.03 18:48:44 IST
Reason: SelfAttested